तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज संतोष कुमार जैन बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1138**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट उपस्थित। अपीलांट की बहस सुनी गई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(14)(3) Portal Appl/प्रथम अपील/ 05959/संआज /2024/143 दिनांक 25.04.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 18.01.2025 के बिन्दू संख्या 6 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध 524 पृष्ठ की सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 124 दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से रजि0 डाक से भिजवाई जा चुकी है। अन्य बिन्दूओं की सूचना व्याख्यात्मक ,काल्पनिक एवं कार्यालय में संधारित नहीं है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के बिन्दू संख्या 6 के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध 524 पृष्ठ की सूचना कार्यालय के पत्रांक 124 दिनांक 27.03.2025 द्वारा अपीलार्थी/आवेदक श्री संतोष कुमार जैन को कुल 524 पृष्ठ की सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ भिजवाई जा चुकी है। अन्य बिन्दूओं की सूचना व्याख्यात्मक ,काल्पनिक एवं कार्यालय में संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	